

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 858 / 12

संस्थित दि.: 30 / 10 / 12

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

तुलसीराम पिता महासिंह मरकाम, उम्र 40 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम बाकीगुडा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 21 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 28.09.2012 समय करीब 09:30 बजे स्थान एच.सी.एल.एरिया मैंगनीज रोड थानान्तर्गत मलाजखण्ड में एच.सी.एल कम्पनी के आधिपत्य के 18 नग लोहे के पुराने गोले कम्पनी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी करने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण सक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चैतराम ने दिनांक 28.09.2012 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि ट्रक क्रमांक एम.पी.22/बी.6399 के चालक तुलसीराम गिट्टी में 18 नग लोहे के गोले गिट्टी के साथ ले जा रहा था। फरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी तुलसीराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/12 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मय दस्तावेज के

ट्रक एवं 18 नग लोहे के गोले जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसने कभी भी एच.सी.एल मलाजखण्ड से अथवा अन्य कहीं से भी लोहे के गोलों की चोरी नहीं की है। उसे मात्र शंका के आधार पर झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 28.09.2012 समय करीब 09:30 बजे स्थान एच.सी.एल.एरिया मैंगनीज रोड थानान्तर्गत मलाजखण्ड में एच.सी.एल कम्पनी के आधिपत्य के 18 नग लोहे के पुराने गोले कम्पनी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी करने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी/फरियादी चैतराम (अ.सा.05) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग ढाई-तीन साल पुरानी है। आरोपी तुलसीराम ट्रक में सामान लोड करके ले जा रहा है। उसने समूह नेवारे और अन्य दो लोगों को भेजा उन्होंने ट्रक सहित आरोपी तुलसीराम को लेकर आये। ट्रक को चेक करने पर उन्होंने 17, 18 लोहे के गोले पाये। गोले एच.सी.एल प्लांट के थे। उसने आरोपी तुलसीराम को अपने साथ ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। पुलिस ने आरोपी

तुलसीराम से 18 नग लोहे के गोले एवं ट्रक तथा ट्रक के दस्तावेज सहित उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है।

(07) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.06) का कहना है कि उसने दिनांक 28.02.2012 को फरियादी चैतराम सुरक्षा सुपर बाईजर माईन की रिपोर्ट पर ट्रक क्रमांक एम.पी.20/बी.6399 के चालक तुलसीराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/12 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 28.09.2012 को हुये अपराध क्रमांक 108/12 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादी चैतराम बंसोड़े की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। आरोपी तुलसीराम मरकाम से एक प्लास्टिक की बोरी में 18 नग लोहे के गोले एवं एक ट्रक मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। आरोपी तुलसीराम से गवाहों के समक्ष चोरी का सामान कबुल करने के संबंध में मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-03 लेख किया था। फरियादी चैतराम बंसोड़े साक्षी रामू नेवारे, उदय चौधरी के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(08) अभियोजन साक्षी परमजीतसिंह (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 18.10.2012 को उसने मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट के सुरक्षा विभाग में उपस्थित सुरक्षा कर्मियों की सूची के संबंध में मलाजखण्ड थाने को सूचना दी थी एवं अभियोजन साक्षी उदय कुमार (अ.सा.02) का कहना है कि घटना दिनांक 28.09.2012 को आरोपी तुलसीराम ने लोहे के गोले जो लगभग 18 नग थे एक प्लास्टिक की बोरी में भरकर उसके ट्रक में रख लिया था, जिसकी सूचना उसने सुरपबाईजर चैतराम को दी थी। चैतराम बंसोड़े के साथ जाकर आरोपी के ट्रक को चैक करने पर लोहे की गोले प्लास्टिक की बोरी में ट्रक के अन्दर भरी हुई गिट्टी के अन्दर से निकाले थे।

(09) अभियोजन साक्षी रामू नेवारे (अ.सा.01) का कहना है कि उसे दिनांक 28.09.2012 को सूचना मिली थी कि आरोपी के ट्रक में लोहे के गोले गये हैं। सूचना पर वह ट्रक के तरफ गया तो आरोपी तुलसीराम ट्रक में भरी हुई गिट्टी को खाली कर दिया था। लोहे के गोले उसके देखने को नहीं मिले थे। पुलिस ने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तारी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी तुलसीराम से उसके समक्ष पुलिस ने कोई कथन नहीं लिये थे, किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी तुलसीराम ट्रक क्रमांक एम.पी.22/बी.6399 प्लास्टिक की बोरी में लोहे के गोले ट्रक में भरकर लेजा रहा था से स्पष्ट इन्कार किया।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट लिखाई है, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। फरियादी एवं फरियादी के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण में खण्डन हो चुका है। मात्र विवेचनाकर्ता ने अपने प्रकरण को बनाये रखने हेतु कथन किये हैं, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी जप्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम के साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(12) अभियोजन साक्षी/फरियादी चैतराम (अ.सा.05) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग ढाई-तीन साल पुरानी है। आरोपी तुलसीराम ट्रक में सामान लोड करके ले जा रहा है। उसने रामू नेवारे और अन्य दो लोगों को भेजा उन्होंने ट्रक सहित आरोपी तुलसीराम को लेकर आये। ट्रक को चेक करने पर उन्होंने 17, 18 लोहे के गोले पाये। गोले एच.सी.एल प्लांट के थे। उसने आरोपी तुलसीराम को अपने साथ ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। पुलिस ने आरोपी

तुलसीराम से 18 नग लोहे के गोले एवं ट्रक तथा ट्रक के दस्तावेज सहित उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 03 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर नहीं गया। प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से लोहे के गोले पुलिस ने नहीं जप्त किये थे। उसने पुलिस के कहने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 पर थाने पर हस्ताक्षर कर दिये थे और मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-03 पर भी उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(13) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.06) का कहना है कि उसने दिनांक 28.02.2012 को फरियादी चैतराम सुरक्षा सुपर बाईजर माईन की रिपोर्ट पर ट्रक क्रमांक एम.पी.20/बी.6399 के चालक तुलसीराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/12 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 28.09.2012 को हुये अपराध क्रमांक 108/12 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादी चैतराम बंचोड़े की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। आरोपी तुलसीराम मरकाम से एक प्लास्टिक की बोरी में 18 नग लोहे के गोले एवं एक ट्रक मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। आरोपी तुलसीराम से गवाहों के समक्ष चोरी का सामान कबुल करने के संबंध में मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-03 लेख किया था। फरियादी चैतराम बंसोड़े साक्षी रामू नेवारे, उदय चौधरी के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(14) अभियोजन साक्षी परमजीतसिंह (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 18.10.2012 को उसने मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट के सुरक्षा विभाग में उपस्थित सुरक्षा कर्मियों की सूची के संबंध में मलाजखण्ड थाने को सूचना दी थी, जो प्रदर्श पी-07 है।

किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट की सम्पत्ति की देख रेख की जिम्मेदारी उसकी थी और उसने घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की।

(15) अभियोजन साक्षी उदय कुमार (अ.सा.02) का कहना है कि घटना दिनांक 28.09.2012 को आरोपी तुलसीराम ने लोहे के गोले जो लगभग 18 नग थे एक प्लास्टिक की बोरी में भरकर उसके ट्रक में रख लिया था, जिसकी सूचना उसने सुरपबाईजर चैतराम को दी थी। चैतराम बंसोड़े के साथ जाकर आरोपी के ट्रक को चैक करने पर लोहे की गोले प्लास्टिक की बोरी में ट्रक के अन्दर भरी हुई गिट्टी के अन्दर से निकाले थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी तुलसीराम को ट्रक में लोहे के गोले रखते हुये नहीं देखा।

(16) अभियोजन साक्षी रामू नेवारे (अ.सा.01) का कहना है कि दिनांक 28.09.2012 को आरोपी तुलसीराम ट्रक चालक का काम करता था। उसको सूचना मिली थी कि आरोपी के ट्रक में लोहे के गोले गये हैं। सूचना पर वह ट्रक के तरफ गया तो आरोपी तुलसीराम ट्रक में भरी हुई गिट्टी को खाली कर दिया था। लोहे के गोले उसके देखने को नहीं मिले थे। पुलिस ने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तारी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी तुलसीराम से उसके समक्ष पुलिस ने कोई कथन नहीं लिये थे, किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी तुलसीराम द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी.22/बी. 6399 में प्लास्टिक की बोरी में लोहे के गोले ट्रक में भरकर लेजा रहा था से स्पष्ट इन्कार किया और उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी और प्रदर्श पी-03 का मेमोरेण्डम कथन भी नहीं लिया था। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने ट्रक भी जप्त नहीं किया और आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया था उसने पुलिस को प्रदर्श पी-04 का कथन भी नहीं दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी ट्रक की में प्लास्टिक की बोरी में लोहे के गोले नहीं पाये गये एवं उसने

पुलिस के कहने पर पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी फरियादी चैतराम, उदयसिंह, रामू नेवारे के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी चैतराम, उदयसिंह, रामू नेवारे के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा साक्षी रामू नेवारे को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने आरोपी तुलसीराम द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी.22/बी. 6399 में प्लास्टिक की बोरी में लोहे के गोले ट्रक में भरकर लेजा रहा था से स्पष्ट इन्कार किया और उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी और प्रदर्श पी-03 का मेमोरेण्डम कथन भी नहीं लिया था। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने ट्रक भी जप्त नहीं किया और आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया था उसने पुलिस को प्रदर्श पी-04 का कथन भी नहीं दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी ट्रक की में प्लास्टिक की बोरी में लोहे के गोले नहीं पाये गये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक 28.09.2012 समय करीब 09:30 बजे स्थान एच.सी.एल.एरिया मैंगनीज रोड थानान्तर्गत मलाजखण्ड में एच. सी.एल कम्पनी के आधिपत्य के 18 नग लोहे के पुराने गोले कम्पनी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी करने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी तुलसीराम ने दिनांक 28.09.2012 समय करीब 09:30 बजे स्थान एच.सी.एल.एरिया मैंगनीज रोड थानान्तर्गत मलाजखण्ड में एच.सी.एल कम्पनी के आधिपत्य के 18 नग लोहे के पुराने गोले कम्पनी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी करने के आशय से हटाकर चोरी कारित की यह सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी तुलसीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.22/बी.6399 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज तथा एक प्लास्टिक की बोरी में 18 नग लोहे के गोले सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)